

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.11.25	<p>           पत्रावली वास्ते आदेशावली प्र.पत्र 022R4            पेस हुई। प्र.पत्र संकेप में इस प्रकार है कि            वाडी आविपस्ता द्वारा एक प्र.पत्र डि.16/025            को पेस कर निवेदन किया की प्रतिवादी सं.14            सीता करीब दारि गार्ड प्री जात हो गई है            जिसके मायक मुकाम रिमांड पर लिफे जाते।            प्रतिवादी आविपस्ता ने जबाब पेस कर            निवेदन किया की वाडी द्वारा मायक मुकाम            प्र.पत्र जलत पेस किया गया है। सीता            की मूल्यु डिनांक 3.4.2025 को ही हो गई            थी। जबाब प्र.पत्र में दारि गार्ड प्री            ही बताया गया है। साथ ही न तो डीले            कंडोल हेतु प्रयुक्त से ही कोई प्र.पत्र पेस            किया गया है न ही मूल्यु मा. कोरि मूल्यु            प्र.पत्र संलग्न किया गया है। इस कारण            प्राण अवेर हो चुका है। क प्राण खारिज            किया जाये। पत्रावली का अपलोगन किया            गया। क्लर पर मनन किया गया। जेलके            उपरांत निष्कर्ष यह निकलता है कि वाडी            द्वारा मायक मुकाम प्र.पत्र खालि प्राथमिक            के अनुकूल पेस नहीं किया गया है। मजोकि            प्र.पत्र को मूल्यु का संलग्न ही जलत            बताया है, साथ ही मूल्यु प्रमाण का संलग्न            नहीं किया है, साथ ही डीले कंडोल हेतु            प्रयुक्त से कोई प्र.पत्र भी पेस नहीं किया            गया है। इस कारण स्पष्टता वाडी का प्राण            अवेर हो चुका है। अतः अंतर्गत धारा 151            CPC के तहत वाडी का वाडि अवेर किया            जाता है तथा खारिज किया जाता है।            पत्रावली जलत मुकाम केना नंबर से कर            हो क प्राथमिक पत्रावली हो।         </p>	

उपखण्ड अधिकारी  
 कपौली (राज.)